फर्द अहकाम
न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

<table>
<tr><td>तारीख हुक्म</td><td>हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज
अपील संख्या 188/2023 राजस्व (जीसीएमएस/2023/194)
श्री रामचन्द्र महाजन व अन्य बनाम श्रीमती राधादेवी बहेडिया व अन्य</td><td>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</td></tr>
<tr><td>01.12.2023</td><td>
उपस्थिति दौराने बहसः-
1. श्री संजय बोहरा, परमेश्वर पंड्या - वकील अपीलार्थी
2. श्री पन्नालाल मारू - वकील प्रत्यर्थी-1
अनवान
1. श्री रामचन्द्र पिता श्री भंवरलाल महाजन, निवासी धनेरिया, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द।
-अपीलार्थी
बनाम
1. श्रीमती राधा देवी पत्नि श्री रामयश बहेडिया, निवासी सेक्टर-3, मकान नम्बर-5, मनीभद्रिका कॉलोनी, निर्मल विहार, उदयपुर।
2. श्रीमती रूकमणी देवी पत्नि स्व. श्री मगनीराम मण्डोवरा, निवासी सालेराकला, तहसील मावली जिला उदयपुर।
3. ग्राम पंचायत धनेरिया जरिये सरपंच ग्राम पंचायत धनेरिया, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द।
-प्रत्यर्थी
अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम विरूद्ध न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रेलमगरा, बप्रकरण संख्या 09/2016 निर्णय दिनांक 19.06.2017 (श्रीमती राधा देवी बनाम श्री रामचन्द्र व अन्य)
<u>निर्णय</u>
दिनांक 01.12.2023
उक्त अपील अपीलान्ट द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रेलमगरा, बप्रकरण संख्या 09/2016 निर्णय दिनांक 19.06.2017 (श्रीमती राधा देवी बनाम श्री रामचन्द्र व अन्य) के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम अधिनियम के पेश की गई है।
प्रकरण के तथ्य निम्न प्रकार है-
• वर्तमान अपील के प्रत्यर्थी-1 श्रीमती राधा देवी द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रेलमगरा समक्ष ग्राम पंचायत धनेरिया द्वारा पारित नामान्तरकरण संख्या-1577 दिनांक 27.05.2006 के विरूद्ध अपील अन्तर्गत धारा-75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के पेश की एवं कथन किया कि मौजा धनेरिया पटवार हल्का धनेरिया तहसील रेलमगरा में मृतक नाथुलाल पिता श्री नन्दकिशोर महाजन के स्वामित्व एवं आधिपत्य की आराजी नम्बर 812, 813, 830, 831, 835 से 842, 844, 1148, 1150, 2809, 2810, 2811, 2812, 2814, 2815, 2952/14, 2954/814, 2955/843 कुल किता 24 रकबा 62-13 बीघा तथा 2813 कुल किता 1 रकबा 0-04 बीघा भूमि स्थित हे। स्व. नाथुलाल की मृत्यु के पश्चात् श्रीमती राधा बाई व श्रीमती रूकमणी बाई पिता श्री नाथुलाल को छोडकर मृत्यु को प्राप्त हुए थे। नाथुलाल जी के कोई जायन्दा पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ। श्री रामचन्द्र श्रीमती राधा बाई व श्रीमती रूकमणी बाई पिता श्री नाथुलाल के किसी प्रकार से नजदीक रिश्ते में नहीं लगता है। तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत धनेरिया के द्वारा मनमकसुद तरिके से रामचन्द्र को नाथुलाल का वसीयत पुत्र बताकर षडयन्त्र पूर्वक नाथुलाल के नाम जमीन का इंतकाल श्री रामचन्द्र के नाम खोल दिया जबकि पटवारी द्वारा श्री नाथूलाल के वारिसान श्रीमती रूकमणी एवं श्रीमती राधा के नाम का नामान्तकरण प्रस्तुत किया था जिस पर भूअभिलेख निरीक्षक द्वारा भी जांच हेतु अंकन किया था। परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा श्री नाथुलाल की वारिसान पुत्रियों को बिना सुनवाई का अवसर दिया, बिना सूचित किये, बिना कोई जांच किये, श्री रामचन्द्र के नाम नामान्तरकरण संख्या-1577 दिनांक 27.05.2006 को स्वीकृत कर दिया जो काबिल निरस्त योग्य है।
</td><td></td></tr>
</table>

फर्द अहकाम

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 188/2023 राजस्व (जीसीएमएस/2023/194) **श्री रामचन्द्र महाजन व अन्य बनाम श्रीमती राधादेवी बहेडिया व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	• न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रेलमगरा प्रकरण राजस्व लोक अदालत कैंप कोर्ट धनेरिया में रख कर निर्णय दिनांक 19.06.2017 से उक्त अपील को स्वीकार करते हुए नामान्तरकरण संख्या 1577 दिनांक 27.05.2006 को निरस्त किया और तहसीलदार रेलमगरा को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया कि वह पक्षकारान का सुन स्व. श्री नाथुलाल के वारिसान की विधिक जांच कर नियमानुसार नये सिरे से नामान्तरकरण की कार्यवाही की जावें न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रेलमगरा के उक्त आदेश दिनांक 19.06.2017 से व्यथीत होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर समक्ष मयाद बाहर प्रस्तुत की गई। अपील के साथ अपीलार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र धारा-5 मयाद अधिनियम का प्रस्तुत किया जिस पर आपत्ति आरक्षित रखते हुए अपील दर्ज रजिस्टर किया गया। तत्पश्चात् न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर के आदेश क्रमांक 1485 दिनांक 06.09.2023 के क्रम में जिला राजसमंद का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय में स्थानांतरित किया जाने से न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर से प्रकरण स्थानांतरित होकर प्राप्त हुआ जिसे दिनांक 11.09.2023 को दर्ज रजिस्टर हुई। पक्षकारान/अधिवक्तागण को तद्नुसार सूचित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। वकील अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी-1 उपस्थित, जिनकी बहस दिनांक 30.11.2023 को सुनी गई। प्रत्यर्थी-2 व 3 बावजुद सूचना अनुपस्थित। **विद्वान वकील अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए लिखित एवं मौखिक बहस में प्रस्तुत किया है** कि विवादित भूमि में श्री नाथुलाल का 1/2 हिस्सा है। उसकी दोनों लड़कियां ससुराल में रहती है, पीहर में नहीं आती है। नाथुलाल की सेवा चाकरी से खुश होकर श्री नाथुलाल द्वारा उक्त जमीन में अपना कुलिया हिस्सा श्री रामचन्द्र अपीलान्ट के नाम वसीयत कर दी और उस पर साख के श्री रमेश सोनी एवं श्री राजेन्द्र कुमार ने अपने हस्ताक्षकर किये है। नाथुलाल के देहावसान दिनांक 23.02.2005 उपरान्त अपीलार्थी द्वारा वसीयत दिनांक 28.08.2004 के आधार पर ग्राम पंचायत द्वारा नामान्तरकरण संख्या 1577 विधिवत स्वीकृत किया। धारा-39 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के अनुसार पहले वसीयत के आधार पर म्यूटेशन खोला जाना चाहिए, अगर कोई वसीयत नहीं है, तो वारिसान के नाम नामान्तरकरण स्वीकृत होता है। परन्तु इस प्रकरण में अपीलार्थी के नाम वसीयत के आधार पर नियमानुसार नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया था। नामान्तरकरण पारित करते समय कोई विवाद नहीं था जिसके नामान्तरकरण का क्षेत्राधिकार ग्राम पंचायत को प्रावधित है। अपीलार्थी श्री नाथुलाल के सगे भतीजे श्री भंवरलाल का पुत्र है। अधीनस्थ न्यायालय सक्षम प्रस्तुत अपील 10 वर्ष बाद प्रस्तुत की गई जो मयाद के बिन्दु पर ही खारिज की जानी थी परन्तु मयाद के बिन्दु पर कोई टिप्पणी किये बिना श्रीमती राधा बाई द्वारा प्रस्तुत अपील अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गलत तरिके से स्वीकार की। उक्त आदेश बिना सुने कैंप में पारित किया गया जबकि बहस हेतु तारिख नियत करने का लिखा और परन्तु अपीलार्थी को पेशी दिये जाने का कथन किया परन्तु निर्णय पारित कर दिया गया। अपीलार्थी के बार बार उपखण्ड कार्यालय में जाने पर भी पत्रावली नहीं मिलने के कथन किये और दिनांक 04.09.2017 को अपीलार्थी को प्रथम बार उक्त निर्णय के बारे में बताया और जानकारी होते ही अपील प्रस्तुत की गई जिसमें देरी को क्षमा करने बाबत प्रार्थना पत्र धारा-5 मयाद अधिनियम मय शपथ पत्र पृथक से प्रस्तुत किया गया। इसके अतिरिक्त अपीलाधीन निर्णय लोक अदालत की मूल भावना के विपरित पारित किया गया क्योंकि लोक अदालत कैंप में ऐसे प्रकरणों का निस्तारित किया जाता है, जिसमें दोनों पक्षकार सहमत हो जबकि इस प्रकरण अपीलार्थी द्वारा अपना उज्र प्रस्तुत किया था। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को अपास्त कर आलौच्य नामान्तरकरण संख्या 1577 को बहाल कराया जावें। अपने कथनों के समर्थन में अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा निम्नांकित न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये- 1. आरबीजे 2006 पेज 78 (एचसी) 2. डीएनजे 2009(1) पेज 141 (एससी) 3. आरआरटी 2014(1) पेज 248 4. आरआरटी 2011(1) पेज 421 5. आरआरटी 2013(1) पेज 546 6. आरआरटी 2008(1) पेज 440 7. आरबीजे 2009 पेज 786	

फर्द अहकाम
न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 188/2023 राजस्व (जीसीएमएस/2023/194) **श्री रामचन्द्र महाजन व अन्य बनाम श्रीमती राधादेवी बहेडिया व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	विद्वान वकील प्रत्यर्थी-1 अपनी लिखित एवं मौखिक बहस में प्रस्तुत किया कि मौजा धनेरिया पटवार हल्का धनेरिया तहसील रेलमगरा में मृतक नाथुलाल पिता श्री नन्दकिशोर महाजन के स्वामित्व एवं आधिपत्य की आराजी नम्बर 812, 813, 830, 831, 835 से 842, 844, 1148, 1150, 2809, 2810, 2811, 2812, 2814, 2815, 2952/14, 2954/814, 2955/843 कुल किता 24 रकबा 62-13 बीघा तथा 2813 कुल किता 1 रकबा 0-04 बीघा भूमि स्थित हे। स्व. नाथुलाल की मृत्यु के पश्चात् श्रीमती राधा बाई व श्रीमती रूकमणी बाई पिता श्री नाथुलाल को छोडकर मृत्यु को प्राप्त हुए थे। नाथुलाल जी के कोई जायन्दा पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ। श्री रामचन्द्र श्रीमती राधा बाई व श्रीमती रूकमणी बाई पिता श्री नाथुलाल के किसी प्रकार से नजदीक रिश्ते में नहीं लगता है। तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत धनेरिया के द्वारा मनमकसुद तरिके से रामचन्द्र को नाथुलाल का वसीयत पुत्र बताकर षडयन्त्र पूर्वक नाथुलाल के नाम जमीन का इंतकाल श्री रामचन्द्र के नाम खोल दिया जबकि पटवारी द्वारा श्री नाथूलाल के वारिसान श्रीमती रूकमणी एवं श्रीमती राधा के नाम का नामान्तकरण प्रस्तुत किया था जिस पर भूअभिलेख निरीक्षक द्वारा भी जांच हेतु अंकन किया था। परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा अनरजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर श्री नाथुलाल की वारिसान पुत्रियों को बिना सुनवाई का अवसर दिया, बिना सूचित किये, बिना कोई जांच किये, श्री रामचन्द्र के नाम नामान्तरकरण संख्या-1577 दिनांक 27.05.2006 को स्वीकृत कर दिया जो काबिल निरस्त योग्य होने से अधीनस्थ न्यायालय समक्ष अपील प्रस्तुत की गई, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत जांच उपरान्त पूर्ण तार्किक निर्णय पारित किया गया, जिसमें कोई हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं है। ग्राम पंचायत को वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण स्वीकृत करने का कोई अधिकार नहीं है। इसके अतिरिक्त आलौच्य नामान्तरकरण संख्या 1577 अविधिक होने से उस पर मयाद का बिन्दु लागु नहीं होता है। इसके अतिरिक्त जब अधीनस्थ न्यायालय ने अपील स्वीकार कर ली जो यह स्वतः ही यह निष्कर्ष निकलता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को श्रमा कर दिया है ऐसे में अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को यथावत रखा जावें। अपने कथनों के समर्थन में अधिवक्ता प्रत्यर्थी-1 द्वारा निम्नांकित न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये- 1. (2021) 10 स्केल पेज 413 (सुप्रीम कोर्ट) 2. आरआरडी 1989 पेज 45 3. आरआरडी 1996 पेज 457 4. आरआरटी 2011(1) पेज 646 5. आरआरटी 2004(2) पेज 1140 6. आरआरटी 2006-07(सप.) पेज 277 7. आरआरटी 2009(1) पेज 500 8. आरआरटी 2005(1) पेज 630 9. आरआरडी 1970 पेज 92 10. आरआरटी 2003(1) पेज 495 11. आरआरडी 1989 पेज 259 **हमने उपस्थित अधिवक्तागण की विद्वतापूर्ण बहस पर मनन किया। विधि के सुसंगत प्रावधानों का अध्ययन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली व अधीनस्थ पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अवलोकन एवं परिशीलन किया गया।** हम अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा-5 मयाद अधिनियम पर भी विवेचन किया जाना उचित समझते है। अपीलांट द्वारा अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा-5 मयाद अधिनियम मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर मयाद कण्डोन किये जाने का आवेदन प्रस्तुत किया है। अपीलार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में अंकित किया कि कथित नामान्तरकरण के विरूद्ध अपील में उपखण्ड अधिकारी द्वारा दिनांक 19.06.2017 को न तो कोई आदेश दिया गया था, न ही कोई फैसला सुनाया गया, बल्कि बहस हेतु तारिख नियुक्त किये जाने का अंकन किया गया फिर भी अपीलार्थी के पीठ पीछे अपीलाधीन आदेश पारित किया गया, जिससे उसे अपीलाधीन आदेश की ससमय जानकारी न हो सकी और जानकारी होते अपील मय प्रार्थना पत्र धारा-5 मयाद अधिनियम मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया। **माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने आर.आर.डी. 1998 पेज 319** में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि अगर प्रकरण गुणावगुण पर मजबुत होता है तो उसे केवल मयाद के आधार पर निर्णित नहीं कर गुणावगुण पर निर्णित करना	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 188/2023 राजस्व (जीसीएमएस/2023/194) **श्री रामचन्द्र महाजन व अन्य बनाम श्रीमती राधादेवी बहेडिया व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

चाहिये, जिससें यह प्रावधित किया गया है कि-

> Limitation Act, 1963, S.5 – Dismissal of Appeal by lower appellate court on ground of limitation without looking into merits of the case – Legality of – Held, now must be taken as well as settled principle of law that before rejecting application u/s.5, and dismissing appeal as time barred, Courts of law are required to put a glance as a condition precedent on merits of appeals and unless appeals are found be hopelessly devoid of merits, ordinarily efforts should be made to decide appeals on merits.

चुंकि प्रकरण में प्रथम दृष्टया आलौच्य आदेश से अपीलार्थी के हित प्रभावित होते है एवं अपीलार्थी के नाम नामान्तरकरण संख्या 1577 स्वीकृत होकर उसका नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज था, ऐसी स्थिति में उसके हितों पर कुठारघात होने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। इसलिए प्रकरण में प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तानुसार मयाद का उपशमन किया जाकर गुणावगुण पर निर्णित किया जाना उचित है। परिसीमा नियमों का अभिप्राय यह है कि पक्षकारों के अधिकारों को नष्ट नहीं करे। वे यह देखने के लिये अभिप्रेरित है कि पक्षकार विलम्बकारी चालों का सहारा न ले अपितु शीघ्रता से अपना उपचार मागें। विचार विमर्श के परिणाम स्वरूप परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा-5 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र गुणवत्ता के आधार पर स्वीकार किया जाता है और अपील को समयावधि में मानकर अपील का निम्नानुसार निस्तारण किया जा रहा है।

पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि विवादित भूमि में श्री नाथुलाल का 1/2 हिस्सा है। श्री नाथुलाल द्वारा उक्त जमीन में अपना कुलिया हिस्सा श्री रामचन्द्र अपीलान्ट के नाम वसीयत कर दी और उस पर साख के श्री रमेश सोनी एवं श्री राजेन्द्र कुमार ने अपने हस्ताक्षकर किये है। नाथुलाल के देहावसान दिनांक 23.02.2005 उपरान्त अपीलार्थी द्वारा वसीयत दिनांक 28.08.2004 के आधार पर ग्राम पंचायत द्वारा नामान्तरकरण संख्या 1577 स्वीकृत किया। उक्त नामान्तरकरण से व्यथित होकर रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा समक्ष अपील अन्तर्गत धारा-75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के पेश की गई। उक्त अपील के साथ प्रत्यर्थी-1 द्वारा प्रार्थना पत्र धारा-5 मयाद अधिनियम का पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध फर्द अहकाम के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि दिनांक 19.06.2017 को प्रकरण राजस्व लोक अदालत कैंप कोर्ट धनेरिया में रखा गया। दिनांक 19.06.2017 को अपीलार्थी श्री रामचन्द्र की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र धारा-5 मयाद अधिनियम का प्रस्तुत कर अधीनस्थ न्यायालय सक्षम प्रस्तुत किया कि उक्त अपील 10 वर्ष के असाधारण विलम्ब से पेश की है, प्रस्तुत प्रार्थना के जानकारी कैसे हुई, कब हुई प्रकट नहीं किया गया, न नकल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की दिनांक ही प्रकट की है। श्रीमती राधा बाई द्वारा 10 वर्ष की देरी के संबंध में कोई ठोस एवं पर्याप्त आधार प्रकट नहीं किया है, ऐसे में यह प्रार्थना पत्र निरस्तनीय है। अपीलार्थी के उक्त कथनों का अभिलेखो पर उपलब्ध दस्तावेजात के परिपेक्ष्य में अध्ययन किया गया और पाया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त कथनों का अपने निर्णय में अंकन किया है, परन्तु मयाद के बिन्दु पर अपना कोई विनिश्चय नहीं किया और लोक अदालत की मूल भावना के विपरित जाकर एक नॉनस्पीकिंग आदेश पारित किया। यहा उल्लेख किया जाना आवश्यक है कि आदेश 41 नियम 3 सी.पी.सी. के प्रावधानों अनुसार जहां अपील मयाद बाहर प्रस्तुत की जावें एवं अपील के साथ धारा-5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया हो, वहा सर्वप्रथम मयाद के बिन्दु को निर्णित किया जाना आवश्यक हैं एवं उसके पश्चात् आवश्यक होने पर प्रकरण को गुणावगुण पर सुना जाना चाहिये। विधिक स्थिति एवं विभिन्न न्यायिक दृष्टान्तों के आलोक में यह स्पष्ट है कि भारतीय परिसीमा अधिनियम, 1908 की धारा-5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निर्णित करने एवं विलम्ब की परिसीमा का शमन स्वीकृत करने के पश्चात ही न्यायिक प्रकरण प्रभाव में आता है एवं तत्पश्चात् ही गुणावगुण पर निर्णय प्रदान किया जा सकता है। वर्तमान प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय समक्ष श्रीमती राधा देवी द्वारा 10 वर्ष के विलम्ब से अपील प्रस्तुत की गई थी ऐसे में प्रावधान अनुसार मयाद के बिन्दु को पहले निर्णित किया जाना अपेक्षित था। साथ वर्तमान अपील के अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय समक्ष इस सम्बन्ध में आपत्ति एवं लिखित प्रतिक्रिया प्रस्तुत की थी।

यहा हम मयाद के बिदुं पर अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत विभिन्न न्यायालयों द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों/व्यवस्थाओं पर विचार किया जाना उचित समझते है जो कि हस्तगत प्रकरण

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 188/2023 राजस्व (जीसीएमएस/2023/194) **श्री रामचन्द्र महाजन व अन्य बनाम श्रीमती राधादेवी बहेडिया व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

पर चस्पा होते है।

<u>आर.बी.जे(13) 2006 पेज 78 उनवानी करतार सिंह बनाम राजस्व मण्डल (राजस्थान उच्च न्यायालय)</u>

Code of Civil Procedure 1908 – order 41, rule 3(A)(3) and Indian Limitation Act, 1963 – Section 5 – Without condonation of delay, appeal is not competent. – To decide the appeal, the Court is first required to determine the question of limitation and the Court may come to conclusion that the delay can be condoned and thereafter on condonation of delay, the appeal becomes competent. In view of settled proposition of law that the appeal barred by time is not an appeal competent. The Board of Revenue is excepted first to decide the question of limitation and if the delay is condoned than decide the appeal on merits. Writ petition is disposed accordingly.

<u>2009 डी.एन.जे.(1) एस.सी.141 में विलम्ब क्षमा करने के बिन्दु को पहले निर्णीत करने के सम्बन्ध में निम्न सिद्धान्त अभिनिर्धारित किया है-</u>

Without condoning the delay and entertaining the writ appeal High Court passed the various interim order-It was impermissible as the appeal was non-est in the eye of law-Order passed in writ appeal was erroneous and contrary to ground on which petition was dismissed – Held, Impugned judgement is set side and case remitted to High Court to decide afresh.

<u>न्यायिक दृष्टान्त 2011(1) आर.आर.टी. पेज 421 में डी.एन.जे.(1) एस. सी.141 को उदधृत करते हुए निम्न सिद्धान्त विनिश्चय किया है-</u>

Question of limitation should have been decided first before passing order on merits.

<u>2014(1) आरआरटी 248 में निम्न सिद्धान्त विनिश्चय किया है-</u>

Rajasthan Land Revenue Act, 1956 – Sec. 136 – Application for correction of entries – Divisional Commissioner set aside the order – RAA not decided the application u/s 5 of Limitation Act – No order passed on the application of the appellant filed u/order 41, Rule 27 CPC – Held, order suffered from patent illegality and set-aside.

उपरोक्त न्यायिक उद्धरणों के अनुसार धारा-3 मयाद अधिनियम के अन्तर्गत समयावधि का प्रश्न अपील का निर्णय किये जाने से पूर्व निर्णित किया जाना चाहिये। यदि अपील निर्धारित समय के पश्चात प्रस्तुत की जाती है तो प्रथम बिन्दु यह निर्णय किये जाने का होता है कि क्या अपील निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत की गई है अथवा नहीं। यदि धारा-5 मयाद अधिनियम के अधीन कोई आवेदन-पत्र अपील के साथ प्रस्तुत किया गया है तो उसे स्वीकार किया जावे या नहीं एवं जो देरी अपील प्रस्तुत किये जाने में हुई है, उस देरी को क्षम्य किया जावें अथवा नहीं, उक्त बिन्दु पर निर्णय दिये बगैर अपीलीय न्यायालय को गुणावगुण पर निर्णय किये जाने हेतु नहीं जा सकती। मयाद के सम्बन्ध में लिया ऐतराज मात्र तकनीकी ऐतराज नहीं है बल्कि एक महत्वपूर्ण व सारभूत ऐतराज है, जो अपीलीय न्यायालय के अपील को सुनने या उसे ग्राह्य किये जाने व निर्णिय किये जाने के क्षेत्राधिकार को अवधारित करता है। चूंकि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील के साथ धारा-5 मयाद अधिनियम के अधीन आवेदन पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया था, ऐसी सूरत में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब के दोष-मार्जन हेतु दिये गये स्पष्टीकरण के सम्बन्ध में न्यायालय को अपील संतुष्टि करना आवश्यक है कि आया स्पष्टीकरण युक्तियुक्त, संतोषप्रद व पर्याप्त है अथवा नहीं? न्यायालय को परिसीमा अवधि को साम्यपूर्ण आधार पर अभितृद्धित करने का कोई क्षेत्राधिकार नहीं है। न्यायालय ऐसे मामलें में जहा विरोधी के पक्ष में कोई हित व अधिकार अभिप्राप्त हो गया है, वहां उसको भी दृष्टिगत रखना आवश्यक है। ऐसी सूरत में जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समयावधि के सम्बन्ध में अपना विनिश्चय नहीं किया जाकर एक नॉन स्पीकिंग आदेश पारित किया गया वह पूर्णतया त्रुटिपूर्ण होकर समर्थन योग्य नहीं है।

अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन एवं परिक्षण से यह भी स्पष्ट होता है

फर्द अहकाम

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

<table>
<tr><td>तारीख हुक्म</td><td>हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज
अपील संख्या 188/2023 राजस्व (जीसीएमएस/2023/194)
श्री रामचन्द्र महाजन व अन्य बनाम श्रीमती राधादेवी बहेडिया व अन्य</td><td>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</td></tr>
<tr><td></td><td>कि अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा-5 मयाद अधिनियम में ऐसा कोई ठोस युक्तियुक्त कारण नहीं बताया है, जिसके आधार पर अपील प्रस्तुत नहीं करने के क्या पर्याप्त और औचित्यपूर्ण कारण रहे है। विधिक प्रावधानों अनुसार विलम्ब हेतु प्रत्येक दिवस के क्या कारण रहे है, स्पष्ट किया जाना आवश्यक है। विभिन्न न्यायालयों द्वारा कई मामलों में यह दृष्टांत प्रतिपादित किये है कि अपीलार्थी द्वारा अपील दायर करने में हुई देरी बाबत औचित्यपूर्ण, सत्य, विश्वसनीय एवं संतोषजनक कारण प्रस्तुत करते हुए न्यायालय को संतुष्ट किया जाना आवश्यक होता है, ऐसा नहीं होने की स्थिति में मयाद को कण्डोन नहीं किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपना निर्णय दिनांक 19.06.2017 पारित करने में उक्त प्रावधानों की अनदेखी की गई है। ऐसे में इस न्यायालय द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के तहत प्रदत्त अधिकारों एवं शक्तियों के परिपेक्ष्य में मयाद के इस विधिक बिन्दु का निस्तारण किया जाना उचित पाते है। हस्तगत प्रकरण में श्रीमती राधा देवी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय समक्ष द्वारा मयाद कण्डोन किये जाने बाबत जो कारण प्रस्तुत किये है, वह संतोषप्रद एवं पर्याप्त नहीं है। विलम्ब की देरी हेतु प्रत्येक दिन का कारण बताया जाना आवश्यक है। हस्तगत प्रकरण में देरी को उपशमन करने का कोई न्याय संगत आधार नहीं है। पत्रावली पर उपलब्ध ग्राम सभा का बैठक कार्यवाही विवरण उपलब्ध है जिसके अनुसार पंचायत भवन के आयोजित बैठक जिसमें मजमेआम की उपस्थित में नामान्तरकरण संख्या 1577 पारित किये जाने का निर्णय लिया गया। उक्त नामान्तरकरण पारित होने के उपरान्त विवादित भूमियों के श्री रामचन्द्र के नाम राजस्व रेकर्ड में अंकन की जानकारी श्रीमती राधा देवी एवं रूकमणी देवी को नहीं होना सुपाच्य नहीं है और वर्तमान परिस्थितियों के परिपेक्ष्य में व्यवहारिक/सभांवित भी नहीं है। प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि आलौच्य निर्णय से अपीलार्थी को ससमय जानकारी थी, परन्तु उनके द्वारा कोई कार्यवाही निर्धारित समयावधि में नही की गई। निर्णय की सटीक जानकारी हेतु रेकर्ड से परे जाकर अभिवचन कथन करना/वर्णित करना कदापि औचित्यपूर्ण नहीं है तथा इस प्रकार से बिलम्ब को उपशमन किये जाने के लिए कोई पर्याप्त एवं ठोस कारण नहीं है। मयाद के बिन्दु पर निर्णय दिये बगैर अपीलीय न्यायालय द्वारा गुणावगुण पर निर्णय नहीं किया जा सकता है। मयाद के सम्बन्ध में लिया ऐतराज मात्र तकनीकी ऐतराज नहीं है बल्कि एक महत्वपूर्ण व सारभूत ऐतराज है, जो अपीलीय न्यायालय में अपील को सुनने या उसे ग्राह्य किये जाने व निर्णिय किये जाने के क्षेत्राधिकार को अवधारित करता है। अधीनस्थ न्यायालय समक्ष वर्तमान अपीलार्थी द्वारा मयाद के सम्बन्ध में अपना एतराज प्रस्तुत किया गया था, जिस पर उपरोक्त विधिक विवेचन के आलोक में निर्णय किया जाना अपेक्षित था, जो नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सवप्रर्थम उसके समक्ष प्रस्तुत 10 वर्ष की देरी से प्रस्तुत अपील, जिसमें हुई देरी को क्षमा करने के कोई ठोस एवं पर्याप्त कारण प्रस्तुत नहीं किये गये, उसे प्रावधानोंनुसार निस्तारित किया जाना था जो नहीं किया गया, जिससे पारित अपीलाधीन आदेश मयाद के बिन्दु पर समर्थन योग्य नहीं है।

माननीय उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त सिद्धान्तों के दृष्टिकोण से अधीनस्थ न्यायालय समक्ष प्रस्तुत अपील जो निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं की गई, जो विधि सम्मत नहीं थी। अतः उपरोक्त समग्र विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रेलमगरा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19.06.2017 निरस्त/अपास्त किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के साथ निर्णय की प्रति प्रेषित की जावें।

निर्णय सुनाया गया।

(महावीर खराड़ी)
R.A.S.
अति.संभागीय आयुक्त, उदयपुर</td><td></td></tr>
</table>